कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, हनुमानगढ

क्रमांकः–लेखा/देव/गोगामेडी/2022/1552 दिनांकः– 12.07.2022

गोगामेडी मेला वर्ष 2022 में अस्थाई दुकानें/भुखण्ड/मनोरंजन स्थल/पार्किंग ऑन–लाईन (ई–बोली) संशोधित सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री गोगाजी गोगामेडी मेला दिनांक **11.08.2022** से प्रारम्भ होकर दिनांक **10.09.2022** को विसर्जित होगा। मेला मौके पर व्यापार करने के लिये दुकानों, मनोरंजन स्थल व पार्किंग आदि हेतु विभिन्न स्थान/बाजारों में अस्थाई छोटे–बड़े भुखण्डों को मेला अवधि के लिए किराये पर देने हेतु ऑन–लाईन ई–बोली इस कार्यालय के ई–बोली क्रमांक लेखा/देव/गोगामेडी/2022/1192 दिनांक 22.06.2022, 1379 दिनांक 04.07.2022 एवं 1506 दिनांक 11.07.2022 के द्वारा जारी की गई थी। प्रशासनिक कारणों से इसमें आंशिक संशोधन करते हुए ऑन लाईन पंजीयन की अंतिम दिनांक 12.07.2022 रखी गई थी जिसके स्थान पर पंजीयन की अंतिम दिनांक **14.07.2022** होगी एवं पंजीयन आवेदन पत्र, निर्धारित अमानत राशि कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जिला परिषद के पीछे, हनुमानगढ जं0 (335512) में जमा करवाने की अंतिम दिनांक 13.07.2022 के स्थान पर दिनांक **15.07.2022** सांय 06.00 तक होगी।

प्रथम चरण (115 भूखण्ड) की अंतिम बोली दिनांक 15.07.2022 सायः 04.00 बजे तक थी उसमें संशोधन करते हुए प्रथम चरण की अंतिम बोली दिनांक 17.07.2022 सांय 04.00 बजे तक होगी एवं द्वितीय चरण (102 भूखण्ड) की अंतिम बोली दिनांक 17.07.2022 सायः 04.00 बजे तक थी उसमें संशोधन करते हुए द्वितीय चरण की अंतिम बोली दिनांक 18.07.2022 सांय 04.00 बजे तक होगी।

इसके अतिरिक्त शर्त न. 04 में आंशिक संशोधन करते हुए **प्रथम बोलीदाता के सम्पूर्ण राशि जमा करवाने में विफल होने पर द्वितीय/तृतीय व क्रमवार अन्य बोलीदाता को उनकी प्रस्तावित दर पर अवसर दिया जावेगा। उच्चतम बोली से उपर बोली दर्ज करने की अनिवार्यता को हटाकर सभी पात्र बोलीदाताओं को पोर्टल पर अपनी चयनित दुकान की बोली दर्ज करने का विकल्प देते हुए, इससे इच्छुक बोलीदाता अपनी चयनित दुकान हेतु आरक्षित बोली राशि एवं अपनी पूर्व में दर्ज की गई बोली से अधिक 100 के गुणाक में बोली लगा सकेगें, चाहे उनकी बोली उच्चतम बोली से कम ही हो।** अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

ऑन–लाईन बोली से सबंधित अन्य विस्तृत विवरण, शर्तें, प्रक्रिया आदि किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त विभागीय वेबसाईट **www.devsthan.rajasthan.gov.in, sppp.rajasthan.gov.in, www.zilahanumangarh.in** पर देखी जा सकती है।

(नथमल डिडेल) IAS
जिला कलक्टर
हनुमानगढ

क्रमांकः–लेखा/देव/गोगामेडी/2022/1553-1577 दिनांकः– 12.07.2022

प्रतिलिपि– अग्रलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् सयुंक्त शासन सचिव महोदय, देवस्थान विभाग, शांसन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर को सूचनार्थ।
3. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ को उनके द्वारा प्रदत्त निर्देशो के क्रम में।
4. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, हनुमागढ/नोहर/भादरा।
5. श्रीमान् उपनिदेशक, सूचना एवं प्रोद्योगिकी संचार विभाग हनुमानगढ।
6. श्रीमान् सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, हनुमानगढ।
7. श्रीमान् सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर प्रथम/जयपुर द्वितीय/ उदयपुर/ऋषभदेव /अजमेर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा/भरतपुर/वृंदावन को सूचनार्थ।
8. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ/नोहर/भादरा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
9. थानाधिकारी, पुलिस थाना, नोहर/भादरा/गोगामेडी।
10. सरपंच, ग्राम पंचायत गोगामेडी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
11. निरीक्षक, देवस्थान विभाग गोगामेडी।
12. प्रबंधक मंदिर श्री गोगाजी गोगामेडी को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाकर चस्पादगी रिपोर्ट प्रेषित करें।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
हनुमानगढ